


२७

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर ₹५०प्र०

R.5092-क/115



444
6.10.15

श्रीराम साहू पिता स्वरूप राजपिथारे साहू उम्र 55 साल निवासी ग्राम चिनगी

तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली हाल मुकाम ग्राम पंजरेल थाना मोरबा

तहसील घ जिला सिंगरौली ₹५०प्र०

-----निगरानीकर्ता

बनाम

~~श्री..पूर्णमुख दिलीप~~ के
द्वारा आज दिनांक 6.10.15 के
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट एवमोहन जात ताहू पिता श्री बबईसाहू उम्र 56 साल निवासी ग्राम चिनगी

पोस्ट पतेरी थाना बरगदा तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली ₹५०प्र०

2. नायव तहसील दार तहसील चितरंगी जिला ~~सिंगरौली~~ हाल मुकाम ग्राम पंजरेल थाना मोरबा

सिंगरौली ₹५०प्र०

3. हल्का पटवारी ~~हल्का~~ हल्का चिनगी तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली

-----गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विस्तृद्वयवस्थापन आकेशा न्यायालय नायव
तहसील दार चितरंगी पूर्व जिला सीधी कर्तमान जिला
सिंगरौली के राजस्व प्रकारण क्रमांक ६४/१९६१/२००१-०२
पारित आकेशा दिनांक 26-11-2002.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता
सन् १९५७ ₹०।

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5092-दो / 2015

जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 -11-2016	<p>आवेदक अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार चितरंगी पूर्व जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 6/ए/19(1)/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2002 के विरुद्ध म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिसीलन किया। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जबकि नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस. एस. अली) सदस्य</p> <p><i>M</i></p>	